

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत..... **सहायक कलेक्टर (SDO)** मुकाम.....
बायतु

..... **मेहराराम** बनाम **धनमारा राम कोटा**

किस्म मुकदमा..... **स. 311997** नं..... **56** सन..... **2018**

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.2.18	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रविराम 11/19/18</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 122 P.L.R. Act</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20/2/18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु</p>	
20/02/18	<p>प्रार्थी पट्टील उपलब्धत। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील सुडा प्राप्त जिसे वाकिल पत्रावली विभा गन्ना। विप्रार्थीगण वाकिल तामील श्रुतुडपल्लित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एडवोकेट वकालत सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने वाकिल भी प्रार्थी के सम्पने प्यालेसी घेलों के चारों ओर पन्डे नेष्म एस्थापित इवान्ना कावरथुड ई इमरिह प्रार्थी डा नेष्मवक्ती कोवेन तवीआ विभा जाडर नेष्मवक्ती कोवेन विभा जावे। अतः प्रार्थी डा प्रार्थना पत्र तवीआ विभा जाडर तडमल्लिडर गिडा डो उमिअर नियुक्त विभा जाला ई व कोवेन विभा जाला ई। कि प्राय स्वमं या सम्पने अधिवक्ता किसी भी मू अधिवक्ता निरिस्तुड के प्रार्थी के प्यालेसी घेलों की पन्डी नेष्मवक्ती कोवेन पर सुल्ड जमाडाडर डरे पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर वाकिल पत्रावली हो पत्रावली तामील सुडा में दर्ज नम्बर के 84 हो, वाकिल इमरत हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु</p>	

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2018 / 182

दिनांक:- 20.2.18

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. मेहराराम पुत्र गोमदाराम वगैरा
4 जाति जाट निवासी चक
सन्तरा तह. गिड़ा जिला
बाड़मेर

1. पूनमाराम पुत्र जगमालराम वगैरा
18 निवासी उत्तरणी तह. गिड़ा
जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 56/18


आदेश

मौजा चक सन्तरा पटवार हल्का सन्तरा के खेत खसरा नम्बर 13, 14, 15, 16, 27 रकबा क्रमशः 00.03, 250.00, 00.04, 00.03, 85.00 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअनिरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर उन्हें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

क्रमांक / वाद / 2018 / 183-187

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का सन्तरा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री मेहराराम पुत्र गोमदाराम वगैरा 4।
4. विप्रार्थीगण श्री पूनमाराम पुत्र जगमालराम वगैरा 18।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।


S. D. Singh (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- 20.2.18


उपखण्ड अधिकारी बायतु
बायतु